न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु.नं. 12/16 तारीख रजू 27-4-16

उनवान - हुकमसिंह बनाम मनोहरी वगै० औरा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा Adv० ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत शपथपत्र जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब कर दिनांक 6.5.16 को पेश हो। 1035.38 / 27.4.16

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

6.5.16

प्रार्थी वकील उप.। नोटिस अदम तामील प्राप्त हुआ है पुन: तामील बनाए जारी करें। आईन्दा कैम्प भजेडा में दिनांक 11.5.16 को पेश हो।

11.5.16

पत्रावली राजस्व कैम्प भजेडा में पेश हुई तामील अप्राप्त। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर भोपुर में दिनांक 12.5.16 को पेश हो।

12.5.16

पत्रावली राजस्व लोक अदालत - न्याय आपके द्वार कैम्प भोपुर में पेश हुई। प्रार्थी वकील

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप ज़िला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
	उपस्थित / अप्रार्थीगण के नोटिस तामील हो चुके की उनमें से कोई उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई / प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। बहस में कथन किया कि ग्राम जौल की भूमि ख.नं. 737/0.30, 738/0.30, 739/0.73 कुल किता 3 कुल रकबा 1.33 है० मे अप्रार्थी नं. 1 बहिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि हमे विरासत मे श्रम परमोली से मिली है / प्रार्थीयान व गैरसायलान के मध्य भूमि का बँटवारा हो रहा है तथा हिस्सानुसार काबिज है। गैरसायलान नं. 2,3 गैरसायल नं. 1 पर नाजायज दबाव बनाकर भूमि को विक्रय करना चाहते है। यदि भूमि का विक्रय कर दिया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिए रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जावे / प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया गया / पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया / साबिक खसरा नम्बर १५४९ रकबा ४.१) हिस्सा 1/2 परमोली के नाम है

फर्द अहकाम

जिसके हाल खसरा नं. 737, 738, 739 बने है
इस प्रकार उक्त भूमि सायलान के बाबत के नाम
रही थी इस प्रकार यह भूमि मे बाई बर्ष सायलान
का हिस्सा बनता थी यदि गैरसायलान को अस्थायी
निषेधाज्ञा से पाबन्द नही० किया जाता है तो सायलान
को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। इसलिए
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य है।

अतः गैरसायलान को तादबा फैसला
अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है
कि ग्राम औंल की भूमि ख.नं. 737/0.30, 738/0.30, 739/0.73
कुल किता 3 कुल रकबा 1.33 है० मे हिस्सा 1/2
के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम
रखें / कब्जे काश्त सायलान के हिस्से मे मजा
महल मदाखलत नहीं करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को भिजवायें।

निर्णय आज दिनांक 12.5.16 को
कैम्प कोर्ट ~~में~~ मोपुर में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner